

अत्यावश्यक
विधिक प्रकरण

राजस्थान – सरकार
शिक्षा – विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(70)स्था/आकाशि/2006/ 386 दिनांक:22 अक्टूबर,2013

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय: संविदा व्याख्याताओं को मार्च, 2013 से वर्तमान तक वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ: निदेशालय का आदेश क्रमांक 256 दिनांक 19.09.2013.

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा व्याख्याताओं को मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक वेतन भुगतान के सम्बन्ध में स्वीकृति जारी की गई थी, के सम्बन्ध में आपके महाविद्यालय में कार्यरत संविदा व्याख्याताओं को वर्तमान तक किये गये वेतन भुगतान की सूचना फ़ैक्स संख्या 0141-2702247 पर दिनांक 23.10.2013 तक दोपहर 2.00 बजे तक निम्नलिखित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का श्रम करें। सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में आपकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी तय की जावेगी:-

क्र.सं.	संविदा व्याख्याता का नाम	विषय	खाता संख्या	भुगतान की तिथि एवं राशि
1				
2				
3				
4				

भवदीय,



(डॉ. आर.के. कोठारी)

संयुक्त निदेशक